रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09122022-240923 CG-DL-E-09122022-240923

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5498] No. 5498] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 8, 2022/अग्रहायण 17, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 2022/AGRAHAYANA 17, 1944

#### सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5734(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कर्नाटक राज्य के यादगीर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 150 के कि.मी. 34.00 से कि.मी. 70.900 (गुलबर्गा - वाडी यादगीर कडेचुर खंड) भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ी करण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी,अर्थात् सहायक आयुक्त यादगीर को लिखित रूप मे प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपित्तकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपित्तयों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपित्तयों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

8170 GI/2022 (1)

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

# अनुसूची

कर्नाटक राज्य के यादगीर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 150 के कि.मी. 34.00 से कि.मी. 70.900 (गुलबर्गा - वाडी यादगीर कडेचुर खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: व									
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)				
तालुक का नाम: चित्तपुर									
गांव का नाम: वाड़ी (एनएमसिटी)									
1	88	निजी	ना/सूखा	0.1214000(हेक्टेयर )	0.1214000				
कुल 0.1214 0.1214									

[फा. सं. NH-12014/29/2016-KNT(P-6)/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2022

**S.O. 5734(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act,1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.,), maintenance, management and operation of National Highway No. 150 in the stretch of land from Km. 34.00 to Km. 70.900 (Gulbarga - Wadi Yadgir Kadechur Section) in the district of Yadgir in the state of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under subsection(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Assistant Commissioner Yadgir in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

#### **SCHEDULE**

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 34.00 to Km. 70.900 (Gulbarga Wadi Yadgir Kadechur Section) of the National Highway No. 150 in the state of KARNATAKA.

State	: KARNATAKA	District: Kalab	District: Kalaburagi (Gulbarga )						
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)				
Taluk: Chittapur									
Village: wadi (NMCT)									
1	88	Private	NA/Dry	0.1214000(Hectare)	0.1214000				
Total 0.1214									

[F. No. NH-12014/29/2016-KNT(P-6)/3A] RAJESH GUPTA, Director